कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2019 में उत्पादित लगभग 1.00 लाख कुन्तल खड़े गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य

निविदा– प्रपत्र

निविदा संख्या	:	निविदा शुल्क ₹ 100.00 प्रति निविदा + जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 05.09.2019 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2019 में उत्पादित लगभग 1.00 लाख कुन्तल खड़े गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई के कार्य हेतु दरें।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रति कु0 (धनराशि ₹) (अंको एवं शब्दों में)
1	पन्तनगर फार्म के हल्दी एवं बेनी में उत्पादित गन्ना कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एंव चट्टा लगाई का कार्य	₹.. प्रति कु0

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ .... बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद सं0 ....दिनांक................................ के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट सं0/रसीद सं0 ....

दिनांक ....

धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम/पिता का नाम ....

ग्राम व पोस्ट ....

तह0................................ जनपद..................................

पिन................................ दूरभाष..................................

मोबाइल नं0 ....

पैन संख्या ....आधार नं0..............................

बैंक का खाता सं0/शाखा नाम ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

गन्ना कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाने के कार्य की शर्तें

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ धरोहर राशि गन्ना कटाई, छिलाई, बंधाई एवं चट्टा लगाने हेतु ₹ 20,000.00 निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद जो विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम भारतीय स्टेट बैंक, हल्दी/पन्तनगर, यूको बैंक, हल्दी/पन्तनगर एंव नैनीताल बैंक, नगला पर देय हो, जमा करना आवश्यक है।
2. निविदादाता को प्रत्येक प्रक्षेत्र पर उत्पादित गन्ना पेड़ी माह दिसम्बर 2019 तक समाप्त करनी होगी एवं गन्ना पौधा जनवरी 2020 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी 2020 तक समाप्त करना होगा अथवा चीनी मिल के बन्द होने की तिथि सम्पूर्ण गन्ना का कराना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को निविदायें दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. प्रत्येक गन्ना छिलाई ठेकेदार को उसके द्वारा प्रतिदिन कराये जाने वाले कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा जिसके अनुसांर वह ठेका लेना चाहता है।
5. विश्वविद्यालय फार्म पर उपलब्ध गन्ना कटाई का कार्य सर्वप्रथम गन्ना पेड़ी के क्षेत्रफल पर करना होगा, जिससे फार्म के गेंहूँ की बुवाई शीघ्रता से हो सके तथा उसके उपरान्त गन्ना पौधे की कटाई का कार्य अधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ करना होगा।
6. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
8. ठेकेदार के श्रमिकों, पशुओं व मशीनों द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय पर निहित होगा। किसी तरह के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. अनुमानित कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
11. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, फार्म के नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा उनके सगे–सम्बन्धी निविदा डालने के पात्र नहीं होंगे।
12. सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य कराये जाने वाले प्रक्षेत्र में प्रतिदिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य फार्म प्रबन्धन द्वारा दिये समयावधि के अन्तर्गत ही पूर्ण कराना होगा तथा सम्बन्धित ठेकेदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. गन्ना कटाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ा जाता है तो पूर्ण सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
14. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी0एस0टी0 मुक्त होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्ट/स्टाम्प डियूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस विषय में विश्वविद्यालय फार्म पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व नही होगा।

02/9/19

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर